बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–प्र0–2–अरा0 स्था0 (मु0) विविध–12/15–2831/एम0, पटना, दिनांक– 22/7/15

प्रेषक,

फैक्स/ ई0 मेल

रमेश प्रसाद रंजन,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– भारत सरकार की नई कोयला वितरण नीति के तहत् लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों (ईट भट्ठे सहित) को उचित निर्धारित दर पर कोयला आपूर्ति करने संबंधी जिलास्तरीय समिति की अनुशंसा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक–3851/एम0, पटना, दिनांक–21.10.2014

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित नई कोयला वितरण नीति के तहत Non Core Sector के लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों की आवश्यकता के हितों को ध्यान में रखते हुए वैसी औद्योगिक इकाइयों, जिनकी वार्षिक कोयले की आवश्यकता 4200 टन तक अथवा इससे कम हो, को उचित निर्धारित दर पर उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।

2. बिहार राज्य के लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों को पारदर्शी तरीके से उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना संख्या–1865/एम0, दिनांक–14.10.2009 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राज्यस्तरीय समिति एवं जिलास्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। जिलास्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल किये गये हैं:–

1. जिला पदाधिकारी– अध्यक्ष
2. सभी अनुमंडल पदाधिकारी– सदस्य
3. जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी– सदस्य
4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र– सदस्य
5. खान एवं भूतत्व विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारी– सदस्य

3. आपके जिलान्तर्गत कार्यरत लघु एवं मध्यम उद्योग इकाई (जिनकी वार्षिक कोयले की आवश्यकता 4200 टन तक अथवा उससे कम हो) से उचित दर पर उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला का आवंटन करने के संबंध में जिला समाहरणालय की वेबसाइट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचना अपलोड की जाय तथा उक्त सूचना के आलोक में आपके जिलान्तर्गत कार्यरत उद्योग इकाइयों (ईट भट्ठों सहित) से प्राप्त आवेदनों के आधार पर उन उद्योग इकाइयों (वैसे ईंट भट्ठे जिनके द्वारा अद्यतन स्वामिस्व (रॉयल्टी) का भुगतान कर BSPCB एवं SEIAA से वांछित अनापत्ति/सहमति प्राप्त कर ली गयी है, सहित) की जिलास्तरीय समिति द्वारा इस पत्र के साथ संलग्न चेक लिस्ट में

कृ0पृ0 उ0....

D:\ Tilak G.\Draft for D.M letter

वर्णित सभी बिन्दुओं पर जाँच करते हुए साक्ष्यों सहित समिति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की स्पष्ट अनुशंसा खान एवं भूतत्व विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

4. जिलों से प्राप्त सूची को उद्योग विभाग में सत्यापन हेतु भेजा जायेगा। उद्योग विभाग द्वारा सभी संबंधित उद्योग इकाइयों का सत्यापन कर उनके कार्यरत रहने तथा उनके कोयले की आवश्यकता के संबंध में पूणर्तः संतुष्ट हो लेने के पश्चात अपनी अनुशंसा खान एवं भूतत्व विभाग को प्रेषित की जायेगी।

5. उद्योग विभाग से प्राप्त अनुशंसा पर विभागीय अधिसूचना संख्या–1865/ एम0, दिनांक–14.10.2009 द्वारा गठित राज्यस्तरीय समिति द्वारा निर्णय लेते हुए उसे संबंधित कोयला कंपनी को अग्रसारित की जायेगी। संबंधित कोयला कंपनी द्वारा राज्यस्तरीय समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संबंधित लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों से निर्धारित मूल्य (जिसमें निगम का सर्विस चार्ज पाँच प्रतिशत् भी सम्मिलित होगा) प्राप्त कर उन्हें सीधे कोयले की आपूर्त्ति की जायेगी तथा इसकी सूचना बिहार राज्य खनिज विकास निगम (पटना) को दी जायेगी।

6. संबंधित कोयला कंपनी द्वारा निगम के मद में प्राप्त सर्विस चार्ज का भुगतान निगम को चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक माह के बीतने पर एक सप्ताह के अन्दर कर दिया जायेगा। बिहार राज्य खनिज विकास निगम द्वारा ऐसी सभी उद्योग इकाइयों, जिन्हें कोयले की आपूर्त्ति संबंधित कोयला कंपनी द्वारा की गई है की सूची तथा प्राप्त सर्विस चार्ज आदि का संधारण किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया कंडिका 3 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जिलास्तरीय समिति के माध्यम से इस पत्र के साथ संलग्न चेकलिस्ट में वर्णित सभी बिन्दुओं पर पूरी पारदर्शिता के साथ जाँच करते हुए साक्ष्यों सहित समिति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्राप्त आवेदनों को इस विभाग में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव

D:\ Tilak G.\Draft for D.M letter